66/2017
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 66/2017 अनवानी श्री श्याम सुन्दर गोयल पुत्र स्व0 श्री मदन चन्द निवासी 16 बी ब्लाक श्रीकरणपुर बनाम लोक तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

28–11–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री श्याम सुन्दर उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार श्रीविजयनगर के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री श्याम सुन्दर गोयल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 10.07.2017 के द्वारा तहसीलदार (राजस्व) श्रीविजयनगर से निम्न सूचना चाही थी:–

1. सेवानिवृत राजस्व पटवारी श्री भंवरलाल जोहिया पुत्र श्री रामेश्वरलाल निवासी श्रीकरणपुर।
2. रमादेवी पत्नी भंवरलाल जोहिया/रमा देवी पत्नि भंवर लाल
3. लक्ष्मी नारायण जोहिया पुत्र भंवरलाल जोहिया/लक्ष्मीनारायण पुत्र भंवरलाल
4. अनिता जोहिया पत्नी लक्ष्मी नारायण (अध्यक्ष नगरपालिका श्रीकरनपुर)
5. यंगप्रकाश जोहिया पुत्र भंवरलाल जोहिया
6. ज्योति जोहिया पत्नी यंगप्रकाश
7. सुमन पुत्री भंवरलाल जोहिया

उपर वर्णित नामो या इनके समकक्ष नामों के नाम से राजस्व रिकार्ड में तहसील विजयनगर उपतहसील जैतसर के क्षेत्राधिकार में जितने भी गांव आते है। उनमें कृषि भूमि है, कि जमाबंदी/अन्य रिकार्ड की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करवाये।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर तहसीलदार (राजस्व) श्रीविजनगर ने अपना प्रतिवेदन संख्या स्पेशल–1 दिनांक 23.10.2017 प्रस्तुत किया है कि आवेदक का सूचना अधिकार अधिनियम का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में दिनांक 13.07.2017 को प्राप्त हुआ है। आवेदक द्वारा चाही गई सूचना में चक का नाम, मु0न0 अंकित नही होने व प्रश्नात्मक होने के कारण उनके कार्यालय के पत्र सं0 277 दिनांक 28.08.2017 के द्वारा जबाब भिजवा दिया गया था।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीविजयनगर द्वारा अपने पत्र संख्या 277 दिनांक 28.08.2017 के द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार उत्तर दिया गया है:–

उपरोक्त विषय में लेख है कि आप द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही गई वांछित सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण खोजकर या खोजे गये तथ्यों के आधार पर सूचना उपलब्ध नही करवाई जा सकती है। आपका प्रा0 पत्र अपूर्ण होने के कारण चक न0 अथवा चक का नाम व मु0 न0 अंकित नही है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपीलार्थी के आवेदन पत्र के अवलोकन से पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना निश्चित नही है और प्रश्नात्मक रूप में है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (राजस्व) श्रीविजयनगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उत्तर दिनांक 28.08.2017 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार(राजस्व) श्रीवजयनगर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

2098-99
06/12/17

यह आदेश आज दिनांक 28.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर